पत्रांक–3ए–1–मुक०–03/2026 (खंड)–1757/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार भूषण,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना/**सभी प्रमंडलीय आयुक्त/**
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक : 17-02-2026

विषय :– **SLP(C) No. 38217/2025 (विकाश कुमार एव अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त्त पर दिनांक–20.12.2000 के बाद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों को वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC No. 23831/2018 (रवि शंकर कुमार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक–27.08.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध रिट आवेदकों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No. 38217/ 2025 (विकाश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.01.2026 को पारित आदेश निम्नवत् हैः–

"Learned counsel for the State of Bihar submits that he has instructions that the State will not proceed with the recovery against the Petitioners pursuant to the impugned order. As far as readjustment is concerned, that will be subject to the decision of this court."

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित अंतरिम आदेश में मात्र वसूली संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाया गया है। दिनांक–20.12.2000 के बाद नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक के लिए अनुमान्य वेतनमान 3050-4590 (PB-1+1900) से अधिक निर्धारित वेतनमान 4000-6000 (PB-1+2400) को संशोधित किये जाने पर रोक नहीं लगाया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1035, दिनांक–14.01.2026 द्वारा तत्काल वसूली संबंधी आदेश स्थगित करने का निदेश दिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि दिनांक–20.12.2000 के बाद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त ऐसे कर्मी, जिन्हें वेतनमान–4000–6000 का लाभ दे दिया गया है, उन कर्मियों का वेतन भुगतान की कार्रवाई संशोधित वेतनमान–3050–4590 (PB-1+1900) में की जाय। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

विश्वासभाजन

शैलेश
17/02/26

(शैलेश कुमार भूषण)
सरकार के उप सचिव।

L.Fol./11.02.2026/Dilip Kr.

Nayeem

ज्ञापांक : 3ए–1–मुक०–03/2026(खंड)– 1757 पटना, दिनांक : 17-02-2026

प्रतिलिपि : सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 17/02/26

सरकार के उप सचिव।

L.Fol./11.02.2026/Dilip Kr.

Nayeem